न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 03/2020

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
स्वरूप सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तहसील कार्यालय रामसर जिला बाडमेर।		जिला कलेक्टर बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर के क्रमांक प.1 ( ) (1) कार्मिक/2019/9711 दिनांक 6.8.2019 जिसके द्वारा सीसीए 16 के तहत कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित किया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, रामसर अनुपस्थित।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांक: 15 सितम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा दिनांक 06.08.2019 को पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध दिनांक 23.09.2019 को पेश की गई है। जिला कलेक्टर बाडमेर ने अपीलान्ट के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जॉच कार्यवाही सम्पादित करते हुए अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर अपीलान्ट ने यह अपील राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर से विभागीय जॉच पत्रावली, अपील पर टिप्पणी इत्यादि तलब किये गये।

3. हमने अपीलान्ट के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तहसील कार्यालय रामसर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान जिला

15/9/2021

कलेक्टर महोदय बाडमेर ने दिनांक 22.10.2018 के द्वारा ज्ञापन मय आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किये गये। अपीलान्ट पर यह आरोप आरोपित किया कि:---

"श्री स्वरूप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय रामसर पर आरोप है कि दिनांक 13.06.2016 से आदिनांक तक निरन्तर अपने कर्तव्य से बिना कोई सूचना दिये एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराये स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहे है। इस संबंध में तहसीलदार रामसर द्वारा पत्रांक रीडर/2016/1439 दिनांक 02.12.2016, 59 दिनांक 07.04.2017 एवं 149 दिनांक 12.05.2017 से जारी कारण बताओ नोटिसों का कोई प्रत्युत्तर तहसीलदार रामसर को प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही आप अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित हुए। इस प्रकार आप दिनांक 13.06.2016 से लगातार अपने कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित है। आपका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, मनमाना आचरण करने तथा राजस्थान सेवा नियम के नियम 86(1) के तहत स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने की श्रेणी में आता है।"

4. अपीलांट ने उक्त आरोप का श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को यह प्रत्युतर प्रस्तुत करते निवेदन किया कि वह दिनांक 23.06.2016 से 30.06.2016 तक दिनांक 12.07.2016 से 15.07.2016, दिनांक 26.07.2016 से 29.07.2016 तक, दिनांक 01.08.2016 से 11.08.2016 तक, दिनांक 19.09.2016 से 27.09.16 तक दिनांक 02.09.2016 से 04.09.2016 तक एवं जनवरी 2017 से फरवरी 2017 तक एवं वर्ष जनवरी, 2018 पूरे महीने में अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहा। एवं कार्यालय की उपस्थिति पंजिका में मेरी उपस्थिति दर्ज है। इससे जाहिर है कि मैं दिनांक 13.06.2016 से लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहा हूँ।

5. अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि उनका उक्त अवधि के अलावा कार्यालय से अनुपस्थित रहने का मुख्य कारण मेरी पत्नि से अनबन के चलते एवं पारिवारिक एवं मानसिक परिस्थितियां विपरित होना रही है। अपीलान्ट अपनी धर्मपत्नि से अनबन के चलते तनाव में रहने के कारण एवं अन्य पारिवारीक परिस्थतियों के कारण इस दरम्यान काफी तनावपूर्ण स्थिति में था व इस कारण से कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने में अपने को असमर्थ मानता रहा

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

15/9/2021

और डर के कारण वह उपस्थित नहीं हुआ। तथा असन्तुलित मानसिक स्थिति की स्थायीत्व की कमी के कारण वह एक बार में घर छोड कर भी चला गया था जिसके सम्बन्ध में मेरे पिताजी द्वारा पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। फिर मुझे कहीं से ढूंढ कर घर लाये एवं मेरा मानसिक संतुलन ठीक कराने के लिए मेरे पर देवी देवताओ का प्रकोप मानकर उन्हें मनाने हेतु कई प्रकार से उपाय एवं जतन किये तथा भोपो से मेरा इलाज करावाया गया जिससे मेरी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता गया और मैं पूर्ण रूप से ठीक होने पर श्री जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष कार्यग्रहण कराने हेतु दिनांक 02.07.2018 को उपस्थित भी हो गया था ।

6. अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट पर दिनांक 13.06.2016 से आदिनांक तक अपने कर्तव्य से लगातार स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया वो पूर्ण रूप से प्रमाणित नही होता है। जहां तक तहसीलदार महोदय रामसर द्वारा दिए गये नोटिसो का जवाब पेश नहीं करने का कारण है। वह भी अपीलान्ट की मानसिक परेशानियों के कारण अपीलान्ट उनके समक्ष कोई जवाब पेश नहीं कर सका। मेरे द्वारा दिनांक 02.07.2018 को जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर कार्यग्रहण हेतु निवेदन किया था। तत्पश्चात दिनांक 12.10.2018 को तहसीलदार साहब रामसर को दिये गये निर्देशो की पालना में मैने तहसील कार्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है। एवं निरन्तर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो रहा हूं।

7. अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट पर आरोपित आरोप के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर द्वारा विस्तृत जांच करवाने का निर्णय लिया तथा जॉच हेतु उपखंड अधिकारी रामसर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। अपीलान्ट की मानसिक स्थिति के मध्यनजर जांच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा अपीलांट पंर लगाये आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित होना बताया है। इसके बावजूद श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने अपीलांट पर आरोपित आरोप को प्रमाणित मानकर अपीलांट को उसकी तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने से अपीलाधीन आदेश द्वारा दंडित किया

15/9/2021
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

गया है, जो मानवीय दृष्टि से एवं आनुपातिक दृष्टि से बहुत ही कठोर दण्ड की श्रेणी में आता है।

8. अपीलांट की अब तक की राज्य सेवा संतोषजनक एवं निष्कलंक रही है। अपीलांट ने अपने सेवाकाल में सभी प्रकार के राजकीय कार्य ईमानदारी एवं तत्तपरता से सही समय पर उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार अपने पदीय दायित्वों के अधीन रहकर संपादित किये है। तथा अपीलांट को इस आदेश से पूर्व में किसी प्रकार के दंड से दंडित नहीं किया गया है। अपीलांट पर जो आरोप लगया गया है वह उसकी मानसिक स्थिति की परिस्थितियोंवश घटित हुआ जिसके कारण से वह कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा था। अपीलांट को जो दण्ड दिया गया है। वह अनुपातिक दृष्टि से अधिक है।

9. अपीलान्ट ने अन्त में यह निवेदन किया कि वर्तमान में अपीलान्ट की पत्नी के द्वारा भरणपोषण-प्राप्त करने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाडमेर में मुदकमा दायर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के वेतन की 50 प्रतिशत की राशि कटौती की जाकर उसकी पत्नी को दिये जाने के आदेश भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये है। इस कारण से अपीलान्ट को दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों/परिस्थितियों एवं जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों इत्यादि का अवलोकन करावे एवं अपीलान्ट के प्रकरण में सहानुभूति रखते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार कर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.08.2019 निरस्त कर उचित आदेश जो भी श्रीमान उचित समझें पारित करावें।

10. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर से प्राप्त टिप्पणी में उनके द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को उचित ठहराया तथा अपीलान्ट के स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने का आदी बताया और अपीलान्ट की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज किये जाने का उल्लेख किया है।

11. हमने अपीलान्ट की अपील में अंकित तथ्यों, जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त पत्रावली, टिप्पणी इत्यादि का अवलोकन किया एवं दौरान सुनवाई किये गये उल्लेख किये गये कथनों पर मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट स्वरूप सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील कार्यालय रामसर को

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर

15/9/2021

अपीलाधीन आदेश में अंकित दिनांकों की अवधि में स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने का आदी मानते हुए अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां संग्रहित प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया है। जॉच अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट को लगातार स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं होना तथा उक्त अवधि में कुछ–कुछ समय के अन्तराल पर उपस्थित होना बताया है तथा आरोप को आंशिक रूप से सिद्ध होना बताया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट का यह कथन कि वह अपनी धर्मपत्नि से अनबन के चलते मानसिक रूप से व्यथित रहा और इस कारण से कार्य करने में असमर्थ रहने से वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका है।

12. उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनज़र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के आधार पर तथा अपीलान्ट जो कि एक अल्पवेतन भोगी कार्मिक है, की परिस्थितियों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संग्रहित प्रभाव से रोके जाने बाबत पारित अपीलाधीन दण्डादेश जो आनुपातिक दृष्टि से अधिक दिया प्रतीत होता है, जिसमें आंशिक संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.8.2019 को निरस्त करते हुए इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि "अपीलान्ट की तीन वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के स्थान पर" अपीलान्ट की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंग्रहित प्रभाव से रोके जाने का निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाडमेर अपीलान्ट की उक्त अनुपस्थिति अवधि का नियमानुसार उनसे आवेदन लेकर उसका निस्तारण करावें। साथ ही अपीलान्ट को चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में सजग रहकर अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करें। निर्णय आज दिनांक 15-09-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/9/2021

(डॉ. राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर